न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 110 / 2017

1 बनवारीलाल पुत्र बींजाराम जाति माली निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 14.07.2017 द्वारा
अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
प्रकरण सरकार बनाम बनवारी मुकदमा नम्बर
140 / 2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री मनोहर लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गीगराज मीणा, नायब तहसीलदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः–06.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 140/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जोधपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.18 हैक्टेयर चाही कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी व चाही जो अपीलांट की खातेदारी की भूमि है। इस भूमि को पहले अपीलांट के पिता काश्त करते थे और अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट को विरासतन प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट दोनो फसले रबी व खरीब की फसल काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवकोपार्जन करता है। उसके बावजूद भी रेस्पोडेंट ने एक वेग प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आधारहीन तथ्यों पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष पेश कर इसका निर्णय एक पक्षीय कैम्प कोर्ट जोधपुरा में करवाकर अपीलांट की पैतृक खातेदारी की भूमि को दिनांक 14.07.2017 को सिवायचक के घोषित करवा ली गई। उक्त निर्णय दिनांक 14.07.2017 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन ना कर सरसरी रूप से बिना कोई शहादत लिये व बिना कोई दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाये निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना सुने एक पक्षीय निर्णय पारित किया व उक्त निर्णय कैम्प कोर्ट में अपीलांट की अनुपस्थिति में किया गया है। लोक अदालत में वो ही निर्णय किये जाते है जो दोनों पक्षकारो की सहमति से तय हो। अगर मेरिट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पर कोई निर्णय किया जाता है तो दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर देकर ही पारित किया जाने का प्रावधान है। लेकिन अदालत मातहत ने विधि के प्रावधानों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से रिकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी से महरूम कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि पर वर्तमान में भी बाजरे की फसल काश्त कर रखी है और अपीलांट की जीवकापार्जन का एक मात्र साधन कृषि भूमि ही है इसके अलावा अपीलांट के पास अपनी आजीविका चलाने का कोई अन्य साधन नही है पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर विश्वास कर अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना सुने निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट अपनी उक्त खातेदारी भूमि को अपने पिता के समय से काश्त कर अपनी आजीविका चला रहा है। उक्त भूमि का समय–समय लगान अदा कर रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदारी को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसको उसकी स्वयं की खातेदारी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त कानूनी तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर न कर एक पक्षीय निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पटवारी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार के आवेदन पर समुचित विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन ना कर सरसरी रूप से बिना कोई शहादत लिये व बिना कोई दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाये निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने एक पक्षीय निर्णय पारित किया व उक्त निर्णय कैम्प कोर्ट में अपीलांट की अनुपस्थिति में किया गया है। लोक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अदालत में वो ही निर्णय किये जाते है जो दोनों पक्षकारो की सहमति से तय हो। अगर मेरिट पर कोई निर्णय किया जाता है तो दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर देकर ही पारित किया जाने का प्रावधान है। लेकिन विचारण न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से रिकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी से महरूम कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर विश्वास कर विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदारी को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसको उसकी स्वयं की खातेदारी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त कानूनी तथ्य पर विचारण न्यायालय ने गौर न कर एक पक्षीय निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर